भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 93

जिसका उत्तर 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया

केरल बैंक

93. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
श्री थोमस चाज़िकाडनः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने केरल सरकार को 'केरल बैंक' नामक एक अनुसूचित बैंक आरंभ करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आरबीआई द्वारा दी गई मंजूरी/अनुमति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल बैंक आरंभ करने के कारण प्राथमिक सहकारी बैंकों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए आरबीआई ने कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि इसने केरल राज्य सहकारी बैंक लि. तथा केरल के तेरह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) (तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुझा, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टयम, पट्टनमथिट्टा, त्रिशूर, पलक्कड़, कोझीकोड़, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड), जिन्होंने अपनी आम सभा में न्यूनतम सामान्य बहुमत से समामेलन की योजना को अनुमोदित किया है, के समामेलन के केरल सरकार के प्रस्ताव को अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया है। तथापि, उक्त अनुमोदन माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा केरल को-ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम की धारा 14क के उपबंधों में किए गए संशोधन की वैधता को कायम रखने तथा आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट कतिपय शर्तों का केरल सरकार द्वारा अनुपालन किए जाने पर निर्भर होगा। यह अनुमोदन 31 मार्च, 2020 तक छः माह की अवधि के लिए वैध होगा।

(ग) और (घ): आरबीआई ने सूचित किया है कि उनके द्वारा केरल बैंक को आरंभ करने के कारण प्राथमिक को-ऑपरेटिव बैंक पर पड़ने वाले प्रभाव के विश्लेषण का अध्ययन नहीं किया है।

*****